वार्षिक प्रतिवेदन
2009-10

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन
नौवीं मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय-वस्तु

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ सं.
	2009-10	
1.	प्रस्तावना	1 - 9
2.	प्रमुख गतिविधियां/कार्यकलाप	10 - 18
3.	वित्तीय स्थिति	19 - 19
4.	अनुबंध	20 - 28

1
अध्याय

प्रस्तावना

भारत सरकार ने बाबू जगजीवन राम द्वारा राष्ट्र और समाज को दिए गए उनके भारी योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए उनके सिद्धान्तों और उनके जीवन दर्शन और लक्ष्यों, जातिविहीन और वर्गविहीन समाज के निर्माण का उनका दृष्टिकोंण, अस्पृश्यता के उन्मूलन, दलितों, निम्न और कमजोर वर्गों, जिन्हें समाज में उठने और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाया उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए उनके सतत संघर्ष के बारे में लोगों में जानकारी के प्रसार के लिए पचास करोड़ रूपए की आरंभिक निधि से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में "बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान" की स्थापना करने का निर्णय लिया। बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान को 14 मार्च, 2008 को पंजीकरण सं. एस/61519/2008 के अंतर्गत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया जिसके संस्थापक सदस्य निम्नानुसार हैंः-

1.	केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री	पदेन अध्यक्ष
2.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	पदेन सदस्य
3.	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	पदेन सदस्य
4.	संयुक्त सचिव (एससीडी) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	पदेन सदस्य
5.	श्री वी.एन. डालमिया	परिवार द्वारा मनोनीत कार्यकारी उपाध्यक्ष
6.	डॉ. ओ.पी. मौर्य	सदस्य सचिव
7.	श्री आर.एल. भगत	सदस्य और कोषाध्यक्ष
8.	श्री एस. आनंद बाबू	सदस्य
9.	श्री बी.एल. मंडेलिया	सदस्य

10.	श्री महेन्द्र सिंह	सदस्य
11.	श्री एम कुप्पुसामी	सदस्य
12.	श्री ए.आर. संथालिया	सदस्य
13.	श्री राम रत्तन	सदस्य
14.	श्री रूप चंद	सदस्य
15.	श्री परिमल आर. सोलंकी	सदस्य

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के उद्देश्यः

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की स्थापना बाबूजी के आदर्शों और उनके जीवन दर्शन और लक्ष्यों, जातिविहीन और वर्गविहीन समाज के निर्माण के लिए उनका दृष्टिकोण, अस्पृश्यता के उन्मूलन और दलितों, निम्न और कमजोर वर्गों, जिन्हें समाज में उठने और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाया उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए उनके संघर्ष के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए की गई है।

प्रतिष्ठान के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित हैंः-

1. बाबू जगजीवन राम से संबंधित व्यक्तिगत पत्रों और अन्य ऐतिहासिक सामग्री का संग्रहण, अर्जन, अनुरक्षण, संरक्षण करना।
2. बाबू जगजीवन राम के जीवन और कार्य संबंधी अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और संवर्धन करना और सामाजिक भेदभाव के विरूद्ध लड़ाई के लिए सूचना का प्रसार करना।
3. प्रतिष्ठान के उद्देश्यों के अनुसरण में पुस्तकें, मैगजीन, डाक्यूमेंटरी फिल्में, पत्र, पम्फलेट और जानकारी प्रकाशित, व्यवस्थित और वितरित करना।
4. बाबू जगजीवन राम से जुड़े स्थानों का अर्जन, संरक्षण और सुरक्षा करना और स्मारक बनाना।
5. दिल्ली और पूरे भारत में बाबू जगजीवन राम की जन्म वर्षगांठ और बरसी में कार्यक्रम और उनके जीवन की घटनाओं की याद में अन्य कार्यक्रम आयोजित करना।
6. बाबू जगजीवन राम के लेख और भाषणों के आधार पर स्कीम शुरू करना, चलाना और कार्यान्वित करना और फीचर फिल्में बनाना।
7. अनुसूचित जाति समुदाय के कलाकर जिन्हें ऊपर उठने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिला उन्हें प्रोत्साहित करना और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा उनके आदर्शों और स्मृति का प्रसार करना।
8. विशेष रूप से तैयार की गई विकास योजनाओं के माध्यम से समाज के अन्य कमजोर वर्गों को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहन देना और संवर्धन करना।

9. अस्पृश्यता और जाति आधारित भेद-भाव के उन्मूलन के लिए समाज के सोच में बदलाव लाने के लिए विशेष स्कीमों का कार्यान्वयन करना और केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे गए विभिन्न स्कीमों को चलाना और उनका कार्यान्वयन करना।

10. अनुसूचित जातियों से संबंधित समकालीन विषयों पर ऐसे स्थान और समय, जैसा कि निर्धारित किया जाए सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करना।

11. अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण को जागरूकता कार्यक्रमों, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रेरित करना और उसका समर्थन करना।

12. अनुसूचित जातियों के विकास को प्रोत्साहन देने वाले संगठनों की सहायता करना।

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का संरचनात्मक ढांचा

प्रतिष्ठान के निम्नलिखित सदस्य हैं:

(i) केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री/अध्यक्ष, बाबू जगजीवन राम प्रतिष्ठान द्वारा नामनिर्दिष्ट 31 सदस्य, 3 वर्ष की अवधि के लिए ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो शिक्षा, चिकित्सा, पत्रकारिता, विधि, लेखा और लेखापरीक्षा, बैकिंग, उद्योग, कला, संगीत और फिल्म आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हों और जो बाबू जगजीवन राम के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में रूचि रखते हों। इन्हें समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं और ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से भी नामनिर्दिष्ट किया जा सकता है। सदस्यों के ऊपरलिखित वर्गों में से कम से कम पांच महिलाएं होंगी।

(ii) कम से कम एक व्यक्ति बाबू जगजीवन राम के परिवार से होगा या परिवार के सदस्यों द्वारा बहुमत से मनोनीत किया जाएगा जो शासी निकाय का सदस्य भी होगा। मनोनीत किए जाने वाले व्यक्ति के चयन के बारे में बाबू जगजीवन राम के परिवार के सदस्यों का निर्णय अंतिम होगा और उसे माना जाएगा। बाबू जगजीवन राम के पारिवारिक सदस्यों में उनकी पुत्री, दामाद, नाती, नातिनी और उनके पति/पत्नी आते हैं। बाबू जगजीवन राम के परिवार ने श्री वी.एन. डालमिया का मनोनीत व्यक्ति के रूप में मनोनयन किया है। इस मनोनयन के फलस्वरूप श्री वी.एन. डालमिया बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के कार्यकारी उपाध्यक्ष का पद भी धारण करेंगे।

(iii) कोई व्यक्ति जिसे सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है वह प्रतिष्ठान के साधारण निकाय और शासी निकाय का पदेन सदस्य भी होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने श्री आर.एल. भगत को बाबू जगजीवन राम के राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का सदस्य सचिव नियुक्त किया है। इसी के फलस्वरूप वे बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के साधारण निकाय और शासी निकाय के सदस्य है।

वर्ष 2009-10 के दौरान बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के साधारण निकाय के सदस्यों में न तो कोई नाम जोड़ा गया न ही कोई नाम हटाया गया है।

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के साधारण निकाय के सदस्यों की सूची

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के साधारण निकाय के निम्नलिखित सदस्य हैः

क्र.सं.	नाम	पता	नियुक्ति की तारीख
1.	केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री	शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001	पदेन अध्यक्ष
2.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001	पदेन सदस्य
3.	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001	पदेन सदस्य
4.	संयुक्त सचिव (एससीडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001	पदेन सदस्य
5.	श्री वी.एन. डालमिया	10, दरियागंज, दिल्ली-110002	परिवार द्वारा मनोनीत कार्यकारी उपाध्यक्ष
6.	श्री आर.एल. भगत	ब्लॉक एफ-1, नं. एफ, एमआईजी डीडीए फ्लैट्स, मुनिरका, नई दिल्ली-110067	14.3.2008
7.	श्री एम. कुप्पुसामी	33/2, वीरसामी पिल्लई स्ट्रीट, सेवन वेल्स नॉर्थ, चेन्नई-600001 (तमिलनाडु)	14.3.2008
8.	श्री एस. आनंद बाबू	सी-202, हिडेन ट्रीजर अपार्टमेंट, अयप्पा टेम्पल लेन, राज भवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500082	14.3.2008

9.	श्री महेन्द्र सिंह, आईएएस (सेवानिवृत्त)	5जे-2ए, जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान)	14.3.2008
10.	श्री राम रतन	ग्राम शमशाबाद, पलवल, हरियाणा	14.3.2008
11.	श्री रूप चंद	ए-1/412/13, नंद नगरी, दिल्ली।	14.3.2008
12.	श्री परिमल सोलंकी	5, नवीन चंद्र पार्क, शाहीबाग, अहमदाबाद	14.3.2008
13.	श्री बी.एल. मंडेलिया	निर्भय भवन, पड़ाव, ग्वालियर (एमपी)	14.3.2008
14.	श्री ए.आर. संथालिया	23/24, राधा बाजार स्ट्रीट, तीसरी मंजिल, कोलकाता-1	14.3.2008
15.	श्रीमती राज रानी पूनम, एमएलए	41, लतीफ गार्डन, पानीपत (हरियाणा)	08.4.2008
16.	श्री ए.एन. पाठक, आईपीएस	13, न्यू एमएलए कॉलोनी, जवाहर चौक, भोपाल-3 (मध्य प्रदेश)	08.4.2008
17.	श्री राकेश खन्ना	ए2/21, आजाद अपार्टमेंट्स, श्री अरविन्दो मार्ग, हौज खास, आईआईटी गेट, नई दिल्ली	08.4.2008
18.	श्री महावीर प्रसाद, एडवोकेट	196, गुलमोहर एन्कलेव, नई दिल्ली-49	08.4.2008

19.	डॉ. कौशलेन्द्र कुमार सिंह	सुमित्रा सदन, सुमित्रा देवी पथ, साउथ मंदिरी, बेली रोड, पटना-1, बिहार	11.4.2008
20.	डॉ. ओ.पी. मौर्य	क्वा. नं. 82, सेक्टर-3, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	17.11.2008
21.	श्री राम प्यारे राम, कोषाध्यक्ष	बी-4/89, पश्चिम विहार, नई दिल्ली	03.12.2008
22.	श्री रंजन कुमार सिंह	हाउस नं. 1402, त्रिशुल अपार्टमेंट्स, कोशाम्बी, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	03.12.2008
23.	डॉ. यू.एस. अवस्थी, एमडी, आईएफएफसीओ	आईएफएफसीओ सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017	03.12.2008
24.	श्रीमती नवरेखा शर्मा	ए-109, एफएफ, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-65	03.12.2008
25.	सुश्री अभिलाषा सिंघवी	बी-8, साऊथ एक्सटेंशन-II, नई दिल्ली-48	03.12.2008
26.	प्रो. टी.वाई. भूथैय्या	डोर नं. 196, 14 क्रॉस, 1 मेन "पार्वती निलय", जयानगर, मैसूर-570014, कर्नाटक	03.12.2008
27.	डॉ. शांता भार्गव	123, सुन्दर नगर, नई दिल्ली	03.12.2008

28.	प्रिंसिपल जाफर अली खान	प्लॉट नं. 415, शाहजादा बाग, फेज-1, इंद्रलोक, दिल्ली-35	03.12.2008
29.	श्री सर्वेन्द्र के. वर्मा, एडवोकेट	जगत नारायण रोड, कदम कुआँ, पटना-3	24.12.2008
30.	श्रीमती ममता भूपेश, एमएलए	23, इंदिरा कॉलोनी, आगरा रोड, दौउसा (राजस्थान)	26.2.2009
31.	फादर निर्मल डेविड	चर्च ऑफ रिडेमप्शन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	26.2.2009
32.	सुश्री शोभना नारायण	डी-II/301 पंडारा रोड, नई दिल्ली	26.2.2009
33.	उस्ताद इकबाल खान	1595, सुईवालान, मौसीकी मंजिल, दरियागंज, दिल्ली-110002	26.2.2009
34.	डॉ. एल. हनुमंथैय्या, पूर्व एमएलसी	207ए, थर्ड डी॰ क्रॉस, सेकेन्ड ब्लॉक, थर्ड स्टेज, बसावेसवरानगर, बंगलोर-79	26.2.2009

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का शासी निकाय

प्रतिष्ठान के शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य हैं:

(क) केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष है।

(ख) बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के नियमों और विनियमों के अनुच्छेद 3 के 3.1 के उप-खण्ड (चार) के अनुसार बाबू जगजीवन राम के परिवार के सदस्यों द्वारा मनोनीत व्यक्ति कार्यकारी उपाध्यक्ष होगा।

(ग) प्रतिष्ठान की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संविदा आधार पर प्रतिष्ठान के पूर्णकालिक नियोजन में नियुक्त सदस्य सचिव।

(घ) सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार शासी निकाय के पदेन सदस्य हैं।

(ड) संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार शासी निकाय के पदेन सदस्य है।

(च) संयुक्त सचिव (एससीडी) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार शासी निकाय के पदेन सदस्य है।

(छ) साधारण निकाय के सदस्यों में से प्रतिष्ठान के मनोनीत कोषाध्यक्ष भी शासी निकाय के सदस्य हैं।

(ज) शासी निकाय के सदस्यों में से तीन सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा मनोनीत किए जाएंगे।

साधारण निकाय के सदस्य श्री आर.पी. राम को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 15 मई, 2009 से बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य हैं:

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के शासी निकाय की सूची

क्र.सं.	नाम	पता	नियुक्ति की तारीख
1.	केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	पदेन अध्यक्ष
2.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	पदेन सदस्य
3.	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	पदेन सदस्य
4.	संयुक्त सचिव (एससीडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	पदेन सदस्य
5.	श्री वी.एन. डालमिया	10, दरियागंज, दिल्ली-110002	परिवार द्वारा मनोनीत कार्यकारी उपाध्यक्ष

6.	श्री आर.एल. भगत, सदस्य सचिव, बीजेआरएनएफ	ब्लॉक एफ-1, नं. एफ, एमआईजी डीडीए फ्लैट्स मुनीरका, नई दिल्ली-110067	सदस्य सचिव
7.	श्री एस. आनंद बाबू	सी-202 हिडेन ट्रीजर अपार्टमेंट, अयप्पा टेम्पल लेन, राज भवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500082	सदस्य
8.	श्री महेन्द्र सिंह, आईएएस (सेवानिवृत)	5जे-2ए, जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान)	सदस्य
9.	श्री एम. कुप्पुसामी	33/2 वीरसामी पिल्लई स्ट्रीट, सेवन वेल्स नॉर्थ, चेन्नई-600001 (तमिलनाडु)	सदस्य
10.	श्री आर. पी. राम, कोषाध्यक्ष बीजेआरएनएफ	बी-4/89, पश्चिम विहार, नई दिल्ली।	कोषाध्यक्ष

कार्यालय परिसर

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का कार्यालय 9 वीं मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 में स्थित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के कार्यकारी उपाध्यक्ष के कार्यालय के लिए 21 मई, 2009 से जीवन प्रकाश बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली में एक अतिरिक्त कक्ष आवंटित किया है।

2

अध्याय

2009-10 के प्रमुख कार्यकलाप

वर्षगांठ समारोह, 5 अप्रैल, 2009

1. दिनांक 5 अप्रैल, 2009 को प्रातः राजघाट के सामने समता स्थल पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। समारोह में माननीया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री/अध्यक्ष बीजेआरएनएफ श्रीमती मीरा कुमार और कई कैबिनेट मंत्रियों, संसद सदस्यों, उच्च गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पारिवारिक सदस्यों सहित भारी संख्या में बाबूजी के अनुयायियों ने भाग लिया।

समता स्थल, राजघाट, नई दिल्ली में 5 अप्रैल, 2009 को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री/अध्यक्ष (बीजेआरएनएफ) बाबू जगजीवन रामजी के परिवार के सदस्यों के साथ बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए।

2. 5 अप्रैल 2009 को 6 कृष्णा मेनन मार्ग, नई दिल्ली भारत के पूर्व उप-प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी के सरकारी आवास पर एक सर्व धर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई जिसमें सभी धर्मो के धार्मिक ग्रंथो से मंत्रोच्चार किए गए तथा संगीत और नाटक प्रभाग के कलाकारों द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए। इसमें बहुत से सुप्रसिद्ध गणमान्य लोग और बाबूजी के अनुयायी उपस्थित थे।

5 अप्रैल, 2009 को 6 कृष्णा मेनन मार्ग, नई दिल्ली में सर्वधर्म प्रार्थना सभा

3. बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की पहल पर लोक सभा ने संसद भवन में स्थित बाबूजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए समारोह आयोजित किया। लोक सभा अध्यक्ष, श्री सोमनाथ चटर्जी के नेतृत्व में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने संसद भवन में स्थित बाबूजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बाबूजी के परिवार के सदस्यों और भारी संख्या में बाबूजी के अनुयायियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की।

माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, 5 अप्रैल, 2009 को संसद भवन नई दिल्ली में बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए।

4. दिल्ली में बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के सहयोग से समता संवर्धक संघ द्वारा शोभा यात्रा जुलूस निकाला गया जिसमें बाबूजी के जीवन, उपलब्धियों और कार्यों को प्रदर्शित किया गया। जुलूस को माननीया सामाजिक न्याय

नई दिल्ली में शोभा यात्रा जुलूस 5 अप्रैल, 2009

और अधिकारिता मंत्री/अध्यक्ष (बीजेआरएनएफ) श्रीमती मीरा कुमार ने झंडा दिखाकर रवाना किया और चांदनी चौक, खारी बावली, जीबी रोड, दरियागंज, दिल्ली गेट से होता हुआ दिल्ली गेट के समीप बाबूजी की समाधि समता स्थल पर समाप्त हुआ। इस जुलूस में बाबूजी के अनुयायियों ने भारी संख्या में भाग लिया।

5. विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में 5 अप्रैल, 2009 को बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान द्वारा दूसरा मेमोरियल व्याख्यान आयोजित किया गया। यह व्याख्यान नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. आर.के. पचौरी द्वारा 'जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और वंचित लोगों पर इसका प्रभाव' विषय पर दिया गया। माननीया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसकी मुख्य अतिथि थी। हॉल अपनी क्षमता के अनुसार पूरी तरह से भरा हुआ था।

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में डॉ. आर.के. पचौरी दूसरा मैमोरियल व्याख्यान देते हुए-5 अप्रैल, 2009

पुण्यतिथि समारोह

1. बाबू जगजीवन राम प्रतिष्ठान ने 6 जुलाई, 2009 को समता स्थल पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया। भारत के महामहिम उप-राष्ट्रपति, मो. हामिद अंसारी, माननीया लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौडा, माननीय रक्षा मंत्री श्री ए.के. एन्टोनी, नेता प्रतिपक्ष, लोक सभा, श्री लाल कृष्ण आडवाणी,

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, श्री मुकुल वासनिक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री डी. नेपोलियन, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित तथा कई अन्य प्रमुख गणमान्य लोगों ने समाधि में बाबूजी को पुष्पांजलि अर्पित की। इनके अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं और बाबूजी के अनुयायियों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति मो. हामिद अंसारी, माननीया लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार, माननीय रक्षा मंत्री, श्री ए.के. एन्टोनी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, श्री एच.डी. देवगौडा, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित समता स्थल, राजघाट, दिल्ली में बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए - 6 जुलाई, 2009

2. एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा 6, कृष्णा मेनन मार्ग, नई दिल्ली जो भारत के उपप्रधान मंत्री बाबू जगजीवन राम जी का सरकारी निवास था, में आयोजित किया गया। समारोह में भारी संख्या में केन्द्रीय और राज्य मंत्री, संसद सदस्य, पूर्व मंत्री, परिवार के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और भारी संख्या में बाबूजी के अनुयायियों ने भाग लिया।

3. चंदवा आरा, बिहार में 7 जुलाई, 2009 को बाबूजी की समाधि में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। बिहार राज्य के सभी स्थानों से हजारों लोग बाबूजी को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। इसके पश्चात् निर्धनों और जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए।

चंदवा, आरा में सव्रधर्म प्रार्थना सभा-7 जुलाई, 2009

अन्य गतिविधिया

1. प्रेस क्लब जयपुर में 2 सितम्बर, 2009 को एक समारोह आयोजित किया गया। इस दिन बाबू जगजीवन रामजी ने पहली बार मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, मास्टर भंवर लाल मेघवाल,

प्रेस क्लब जयपुर में समारोह--श्री अंशुल अविजित, बाबूजी के नाती राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के साथ मंच पर 2 सितम्बर, 2009

पूर्व मंत्री और उपाध्यक्ष, राजस्थान पीसीसी, डॉ. चन्द्रभान और राजस्थान सरकार के कई और राज्य मंत्री समारोह में उपस्थित थे।

2. बाबूजी के नेतृत्व में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय की स्मृति में 16 और 17 दिसम्बर, 2009 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के सहयोग से भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के सम्मेलन कक्ष में "भारत में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने में बाबू जगजीवन राम की भूमिका" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन माननीया लोकसभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार द्वारा किया गया। श्री योगानंद शास्त्री, अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, जस्टिस डॉ. ए.आर. लक्ष्मणन, श्री टी.एन. चतुर्वेदी, चेयरमैन, आई.आई.पी.ए., श्री बी.एस. बासवान, निदेशक, आईआईपीए, श्री वी.एन. डालमिया, ईवीपी (बीजेआरएनएफ), श्रीमती संगीता गैरोला, अपर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रलय ने भी एकत्रित जनों को संबोधित किया। समापन सत्र की अध्यक्षता माननीय मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता)/अध्यक्ष (बीजेआरएनएफ) श्री मुकुल वासनिक ने की। सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, श्री के.एम. आचार्य, श्री वी.एन. डालमिया, कार्यकारी उपाध्यक्ष (बीजेआरएनएफ), श्री बी.एस. बासवान, निदेशक आईआईपीए, डॉ. सुषमा यादव, प्रोफेसर आईआईपीए और कई अन्यों ने एकत्रित जनों को संबोधित किया।

श्रीमती मीरा कुमार, माननीय लोक सभा अध्यक्ष भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में 'भारत में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने में बाबू जगजीवन राम की भूमिका' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करते हुए – 16 दिसम्बर, 2009

3. बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान द्वारा निम्नलिखित तीन स्कीमों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(i) बाबू जगजीवन राम निर्भय भवन केन्द्र योजना।

(ii) अत्याचार पीड़ित अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय राहत योजना।

(iii) बाबू जगजीवन राम चेयर स्कीम।

4. चंदवा, आरा (भोजपुर) में बाबूजी की आदम कद प्रतिमा की स्थापना का कार्य काफी आगे के चरण में है।

5. दिल्ली गेट में बाबू जगजीवन राम की समाधि, समता स्थल के लिए कार्य योजना।

6. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मैसर्स टन्डन ब्रिज एण्ड कं., सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को वर्ष 2009-2010 के लिए प्रतिष्ठान का लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया।

7. आयकर प्राधिकारियों से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के साथ पठित धारा 12कक के अधीन पूर्त संगठन के रूप में बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का पंजीकरण प्राप्त किया गया।

8. निर्धारण वर्ष 2009-10 से निर्धारण वर्ष 2010-2011 की अवधि के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5)(vi) के अधीन दान पर कर से छूट प्राप्त किया गया।

वर्ष 2009-10 के दौरान माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता की अध्यक्षता में बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के शासी निकाय की तीन बैठकें आयोजित हुई।

14 मई, 18 अगस्त और 17 सितम्बर, 2009 को आयोजित शासी निकाय की बैठकों में निम्नलिखित प्रमुख संकल्प पारित किए गए।

(i) कार्यकारी उपाध्यक्ष को बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों के आयोजन से जुड़े आवश्यक खर्चे करने का निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से प्राधिकृत किया गया।

(ii) निम्नलिखित योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए और इसे जांच हेतु मंत्रालय को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

(क) अत्याचार के शिकार हुए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय राहत योजना।

(ख) बाबू जगजीवन राम निर्भय भवन केन्द्र योजना स्कीम।

(iii) बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के शासी निकाय के सदस्य श्री महेन्द्र सिंह को 2 सितम्बर, 2009 को, जिस दिन बाबू जगजीवन राम ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली थी, अथवा सितम्बर/अक्तूबर, 2009 के दौरान जयपुर में एक समारोह आयोजित करने की संभावना का पता लगाना चाहिए।

(iv) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के सहयोग से 16 दिसम्बर, 2009 अर्तात् विजय दिवस पर भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में बाबू जगजीवन राम की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करना।

(v) वेबसाइट के लिए एक संकल्पना पत्र तैयार किया जाना चाहिए जिसमें वेबसाइट में शामिल किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख हो।

(vi) बाबूजी के सम्पूर्ण लेखन के संबंध में एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए। इसमें उनके लेख, भाषण, उनकी प्रकाशित रचनाएं शामिल होनी चाहिए जिनमें उपलब्ध पुस्तकें, दुर्लभ पुस्तकें और अप्रकाशित पुस्तके सम्मिलित हों।

(vii) सर्वश्री केतन मेहता, श्याम बेनेगल, प्रकाश झा अथवा जब्बार पटेल जैसे प्रख्यात निर्माताओं से बाबूजी पर कुछ टेली-फिल्में या फीचर तैयार करवाने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए।

(viii) कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करने और चंदवा, आरा स्थिति समाधि परिसर की देख-भाल करने के लिए प्रबंधक/पर्यवेक्षक का पद सृजित करना।

(ix) मंत्रालय के आंतरिक वित्त प्रभाग से परामर्श करके बजट प्राक्कलन को समुचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए और तत्पश्चात् इसे अनुमोदन हेतु माननीय मंत्री बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और अनुमोदन के पश्चात इसे शासी निकाय द्वारा पारित किया गया समझा जाना चाहिए। प्रतिष्ठान में एक सेवानिवृत लेखा अधिकारी की नियुक्ति की जाए।

(x) दोनों योजनाओं अर्थात (क) अत्याचार के शिकार हुए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय राहत योजना, (ख) बाबू जगजीवन राम निर्भय भवन केन्द्र योजना, की संकल्पना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अंतिम जांच हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित।

(xi) बाबू जगजीवन राम निर्भय भवन केन्द्र योजना हेतु 30 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित करने के लिए प्रतिष्ठान के चार्टर्ड अकाउंटेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आंतरिक वित्त प्रभाग और बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के एक पदाधिकारी के साथ एक बैठक की जाए और तत्पश्चात् इसे विचारार्थ माननीय मंत्री/बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(xii) बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा स्थापित किए जाने से पूर्व, माननीय लोक सभा अध्यक्षा या उनके परिवार के किसी सदस्य का प्रतिमा के बारे में अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

3
अध्याय

वित्तीय स्थिति 2009-10

बाबू जगजीवन राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की दिन प्रतिदिन की वित्तीय आवश्यकताएं कायिक निधि/सहायता अनुदान पर मिलने वाले ब्याज तथा ब्याज राशि का सावधि जमाओं में पुनः निवेश करके पूरी की जार रही है।

31.3.2010 की स्थिति के अनुसार प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार हैः-.

1 अप्रैल, 2009 को आरंभिक शेष	54,06,57,656/- रुपये
एफडीआर में	53,85,00,000/- रुपये
बचत बैंक खाते में	21,26,190/- रुपये
नकद राशि	31,466/- रुपये
कुल आरंभिक शेष	**54,06,57,656/- रुपये**
एफडीआर पर ब्याज	**7,14,66,829/- रुपये**
कुल	**61,21,24,485/- रुपये**
वर्ष के दौरान कुल भुगतान/खर्चे	**53,24,925/- रुपये**
31 मार्च, 2009 को अंतिम शेष	**60,67,99,560/- रुपये**
एफडीआर में	60,50,00,000/- रुपये
बचत खाता में	17,47,669/- रुपये
उपलब्ध नकद	51,891/- रुपये
कुल	**60,67,99,560/- रुपये**

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के वित्तीय वर्ष 2009-10 के लेखा परीक्षित लेखे अनुबंध-I पर हैं।

अनुबंध 1

टण्डन बृज एण्ड कं.
चार्टर्ड अकांउटेंट्स

दूरभाष 23622220
23520976

प्रारूप सं. 10ख
(नियम 17ख देखिए)

पूर्त या धार्मिक न्यासों या संस्थाओं की दशा में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 12क(ख) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट

हमने तारीख 31 मार्च, 2010 को 'बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान' के यथा विद्यमान तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लाभ तथा हानि लेखा की जांच की है और वे उक्त न्यास या संस्था द्वारा रखी गई लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।

हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे। हमारी राय में जहां तक बहियों की हारी जांच से प्रतीत होता है, नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन रहते हुए, हमारे द्वारा दौरा किए गए संस्थान ने लेखाओं की उचित बहियां रखी हैं और संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त विवरणियां प्राप्त हुई हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखाओं में निम्नलिखित के संबंध में सत्य और सही जानकारी दी गई है-

(i) तुलना-पत्र की दशा में, तारीख 31 मार्च, 2010 को ऊपर नामित संस्थान के क्रियाकलाप की स्थिति की, और

(ii) लाभ और हानि लेखा की दशा में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए।

टण्डन बृज एंड कंपनी
चार्टर्ड अकांउटेंट्स की ओर से

ह./-
नाम बी.बी. टण्डन
एफसीए
सदस्यता सं. 8140
पैनः एएसीपीटी8125बी

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 15 जून, 2010

105-106 एआरए सेंटर, ई-2 झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

विशिष्टयों का विवरण
पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आय का उपयोजन

टण्डन बृज एण्ड कं.

1.	पूर्व वर्ष की आय की वह रकम, जिसे उस वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया गया है।	:	53,24,925/- रुपये
2.	क्या संस्था ने धारा 11 के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है? यदि हां तो आय की उस रकम के ब्यौरे, जिसे पूर्व वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया गया समझा गया है।	:	नहीं
3.	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के उपयोजन के लिए आय की राशि, उस सीमा तक कि यह न्यास के अधीन प्रयोजनों के लिए धारित संपत्ति से उद्भूत आय के 15% से अधिक न हो।	:	शून्य
4.	धारा 11(1)(ग) के अधीन छूट के लिए पात्र आय की राशि (ब्यौरे दें)	:	सम्पूर्ण आय अर्थात् 7,14,66,829/- रुपये।
5.	ऊपर मद 3 में निर्दिष्ट राशि के अतिरिक्त धारा 11(2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संचयित या अलग से रखी गई आय की राशि	:	6,50,00,000/- रुपये
6.	क्या ऊपर मद 5 में उल्लिखित आय की राशि का कथित रीति में निवेश या निक्षेप किया गया है? यदि हां तो उसके ब्यौरे दें।	:	लागू नहीं
7.	क्या उस आय के किसी भाग को, जिसकी बाबत पूर्ववर्ती किसी वर्ष में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया था, धारा 11(ख) के अधीन पूर्व वर्ष की आय माना गया है? यदि हां तो उसके ब्यौरे दें।	:	लागू नहीं
8.	क्या किसी पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 11(2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संचयित या अलग से रखी गई आय के किसी भाग को पूर्व वर्ष के दौरान-		
	(क) पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया गया है या अब वह पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों से उपयोजन के लिए संचयित या अलग से रखा जाता, या	:	नहीं
	(ख) धारा 11(2)(ख)(i) में निर्दिष्ट किसी प्रतिभूमि में निवेश या धारा 11(2)(ख)(ii) या धारा 11(2)(ख)(iii) में निर्दिष्ट किसी खाते में निक्षेप नहीं किया जाता, या	:	नहीं
	(ग) उस अवधि के दौरान, जिसके लिए इसे संचयित या अलग रखा गया था, या उस अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चातवर्ती वर्ष में उन प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया गया था, जिन के लिए इसे संचयित किया या अलग से रखा गया था।	:	नहीं
(II)	धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के फायदे के लिए आय या संपत्ति का उपयोजन या उपयोग	:	शून्य
(III)	पूर्व वर्ष (वर्षों) के दौरान किसी भी समय ऐसे समुत्थानों में धारित निवेश, जिनमें धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्ति सारवान हित रखते हैं।	:	शून्य

टण्डन बृज एण्ड कं.
चार्टर्ड अकांउटेंट्स

दूरभाष 23622220, 23520976

प्ररूप सं. 10खख
(नियम 16गग देखिए)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट धारा, 10(23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निदिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के मामले में

(i) हमने बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान (निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था का नाम) के तारीख 31 मार्च, 2009 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए इसके साथ संलग्न आय और व्यय या लाभ और हानि लेखा की जांच की है।

(ii) हम यह प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र और आय तथा व्यय लेखा या लाभ और हानि लेखे उनके शून्य स्थित मुख्यालय और शून्य स्थित शाखाओं द्वारा रखी गई लेखाबहियों के अनुरूप हैं।

(iii) नीचे दी गई टिपपणियों के अधीन रहते हुए

(क) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पटीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विकास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, जहां तक हमारे द्वारा लेखाबहियों की जांच से प्रतीत होता है, उपर्युक्त नामित निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के मुख्यालय या शाखाओं द्वारा उपयुक्त लेखा बहियों रखी गई हैं।

(ग) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दी गई जानकारी के अनुसार उक्त बहियों तथा उन पर के टिप्पणों, यदि कोई हो, में निम्नलिखित के संबंध में-

(i) तुलन पत्र की दशा में, तारीख 31 मार्च, 2010 को ऊपर नामित निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के कार्यकलापों की और

(ii) आय और व्यय लेखा या लाभ और हानि लेखा की दशा में, उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अधिशेष या कमी अथवा लाभ या हानि की, सत्य और सही जानकारी दी गई है

विहित विशिष्टयां इसके साथ उपाबद्ध हैं:

कृते टण्डन बृज एंड कंपनी
चार्टर्ड अकांउटेंट्स

ह./-
नाम बी.बी. टण्डन
एफसीए
सदस्यता सं. 8140
पैनः एएसीपीटी8125बी

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 15 जून, 2010

टण्डन बृज एण्ड कं. **जारी पत्रक सं....................**

उपाबंध
विशिष्टियों का विवरण
भाग क-साधारण

1.	निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था का नाम	:	बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान
2.	पता	:	कमरा नं. 7, 9वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली
3.	स्थायी खाता संख्या	:	एएएबी6869एम
4.	निर्धारण वर्ष	:	2010-2011
5.	धारा 10(23ग) का उपखंड, जिसके अधीन निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था द्वारा छूट की मांग की जा रही है।		
6.	निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था का अधिसूचना संख्यांक और तारीख अनुमोदन		

भाग-ख-पूर्त या धार्मिक या शैक्षणिक या परोपकारी प्रयोजनों के लिए आय का उपयोग।

7.	पूर्त/धार्मिक/शैक्षणिक/परोपकारी कार्यकलाप की प्रकृति (धारा 10(23ग) के उपबंध (iv), (v), (vi), या (viक) में यथानिर्दिष्ट)	:	पूर्त न्यास
8.	निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की पूर्व वर्ष की कुल आय	:	7,14,66,829.00 रुपए
9.	पूर्व वर्ष की आय की रकम जो उन उद्देश्यों के लिए, जिनके लिए वह स्थापित किया गया है, पूर्ण रूप से और अनन्य रूप से वर्ष के दौरान उपयोजित की गई है।	:	53,24,925.00 रूपए।
10.	पूर्व वर्ष की आय की रकम जो उन उद्देश्यों के लिए, जिनके लिए यह स्थापित किया गया है, पूर्ण रूप से और अनन्य रूप से उपयोजन के लिए उस सीमा तक जिस तक उस वर्ष की आय के 15% से अधिक नहीं है, संचित की गई है	:	शून्य
11.	धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (क) के अनुसार संचित आय की रकम, जो वर्ष की आय के 15% से अधिक है।	:	शून्य
12.	(क) क्या वर्ष के दौरान ऐसी आय का कोई भाग, जो किसी पूर्ववर्ती वर्ष से संचित आय के 15% से अधिक नहीं है, उन उद्देश्यों से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया गया या जिनके लिए यह स्थापित किया है या उसके बाबत उपयोजन के लिए संचित नहीं किया गया है। (ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर 'हां' है तो इस प्रकार उपयोजित आय का या उस आय का जो संचित नहीं रही, ब्यौरा दीजिए।	:	लागू नहीं

13.	(क) क्या पूर्व वष्र के दौरान किसी पूर्ववर्ती वर्ष की आय का कोई भाग जो उस आय के 15% से अधिक है जो उस वर्ष में धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (क) के अनुसार संचित की गई थी, उन उद्देश्यों से भिन्न प्रयोजनों के लिए जिनके लिए इसे स्थापित किया गया था, उपयोजित किया गया था या उसकी बाबत उपयोजन के लिए संचित नहीं किया गया है?	:	लागू नही
	(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर 'हां' है तो इस प्रकार उपयोजित आय का या उस आय का, जो संचित नहीं रही, ब्यौरा दीजिए।		
14.	(क) क्या पूर्व वर्ष के दौरान किसी पूर्वर्ती वर्ष की आय का ऐसा भाग जो उस आय के 15% से अधिक है और जो उस वर्ष में धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (क) के अनुसार संचित की गई थी, उन प्रयोजनों के लिए जिसके लिए उस अवधि के दौरान जिसके लिए उसे संचित किया जाना था उपयोजित नहीं किया गया था?	:	लागू नहीं
	(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर 'हां' है तो इस प्रकार उपयोजित न की गई आय की रकम के साथ-साथ उसका पूरा ब्यौरा दीजिए।		

भाग ग-अन्य सूचना

15.	(क) क्या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (ख) में निर्दिष्ट आस्तियों या स्वैच्छिक अभिदायों में भिन्न किन्हीं निधियों को धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट प्ररूपों और ढंगों से अन्यथा पूर्व वर्ष के दौरान किसी अवधि के लिए विनिहित या जमा किया गया था?	:	शून्य
	(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर हां तो निम्नानुसार ब्यौरा दीजिए		

क्र.सं.	विनिधान या जमा का स्वरुप	विनिहित या जमा की गई रकम	विनिधान या जमा की अवधि

16.	कारबार के लाभ और अभिलाभ के रूप में आय के संबंध में,-		
	(क) क्या कारबार निधि या न्यास या संस्था विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के उद्देश्यों की पूति के आनुषंगिक था?	:	नहीं
	(ख) क्या ऐसे कारबार की बाबत पृथक लेखा बहियां रखी गई थीं?	:	नहीं
	(ग) यदि उपर्युक्त (क) और/या (ख) का उत्तर 'नहीं' है तो ऐसी आय की रकम बताए	:	ब्याज से आय
17.	(क) क्या पूर्व वर्ष के दौरान संचित आय का कोई भाग धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था अथवा धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्था को संदत्त या जमा किया गया था?	:	शून्य
	(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर 'हां' है तो इस प्रकार सदत्त या जमा की गई रकम में साथ साथ उसका ब्यौरा दीजिए।		

18.	(क) क्या किसी स्वैच्छिक अभिदाय को, जो नकद रूप से स्वैच्छिक अभिदाय या धारा 10(23ग) के तीसरे परन्तुक के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति के स्वैच्छिक अभिदाय से भिन्न है, पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी प्ररूप या ढंग से भिन्न रूप में पूर्व वर्ष के दौरान धारित किया गया था। (ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर 'हां' है तो ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय की रकम को सम्मिलित करते हुए उसका ब्यौरा दीजिए।		शून्य
19.	(क) क्या वर्ष के दौरान, धारा 115खखग में निर्दिष्ट कोई अज्ञात संदान प्राप्त किया गया था? (टिपपण 2 और 3 देखिए) (ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर 'हां' है तो ऐसे अज्ञात संदान की रकम बताएं।	:	शून्य

कृते टण्डन बृज एंड कंपनी
चार्टर्ड अकांउटेंट्

ह./-
नाम बी.बी. टण्डन
एफसीए
सदस्यता सं. 8140
पैनः एएसीपीटी8125बी

स्थानः नई दिल्ली

तारीखः 15 जून, 2010

टण्डन बृज एण्ड कं.
चार्टर्ड अकांउटेंट्स

दूरभाषः 23622220, 23520976

मैसर्स बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान
31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के अनुसार तुलन पत्र

देयता		राशि	आस्तियां	राशि
पूंजीगत खाता			**अचल आस्तियां**	
कायिक निधि		50,00,00,000.00	फर्नीचर और जुड़नार	3,33,029.00
संस्थापन निधि		4,00,00,000.00	अलमारी	38,585.00
निर्भय भवन योजना				
निधिः-			कम्प्यूटर	97,600.00
आरंभिक शेष	4,00,000.00		फैक्स मशीन	18,600.00
योगः वर्ष के दौरान	65000000.00	6,54,00,000.00	इनवर्टर	22,500.00
			मोबाइल फोन	14,590.00
लाभ एवं हानि खाताः-			निवेश	60,50,00,000.00
आरंभिक शेष	26311.00			
योगः लाभ एवं हानि				
खाते से अंतरित	1857066.00	18,83,377.00		
चालू देयता				
विविध लेनदार		3,098.00	**चालू आस्तियां**	
संदेय लेखा परीक्षण शुल्क		25,000.00	नकदी	51,891.00
स्रोत पर कर कटौती संदेय		12,969.00	बैंक खाते	17,47,669.00
		60,73,24,444.00		60,73,24,444.00

कृते टण्डन बृज एंड कंपनी
चार्टर्ड अकांउटेंट्स
ह./-
नाम बी.बी. टण्डन
एफसीए

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 15 जून, 2010

ह./-
सदस्य सचिव

ह./-
कोषाध्यक्ष

105-108 एआरए सेंटर, ई-2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

टण्डन बृज एण्ड कं.
चार्टर्ड अकांउटेंट्स

दूरभाषः 23622220, 23520976

मैसर्स बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान
31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

व्यय	राशि	आय	राशि
वेतन एवं मानदेय	8,89,723.00	अप्रत्यक्ष आय	7,14,66,829.00
लेखापरीक्षा शुल्क	25,000.00		
विज्ञापन	3,70,000.00		
वर्षगांठ व्यय (बाबूजी)	19,07,056.00		
बैंक प्रभार	17,207.00		
वाहन व्यय	3,965.00		
अतिथि सत्कार व्यय	26,714.00		
एल.ओ.बी. ऋण पर ब्याज	25,407.00		
गरीबों का भोजन	2,600.00		
बैठक शुल्क	28,817.00		
कार्यालय रखरखाव व्यय	83,460,00		
डाक और कुरियर व्यय	74,422.00		
लेखन सामग्री मुद्रण	3,06,903.00		
मरम्मत और अनुरक्षण	25,500.00		
समाधि रखरखाव व्यय	29,356.00		
सेमीनार एवं सम्मेलन व्यय	4,36,500.00		
कर्मचारी कल्याण व्यय	4,801.00		
टैक्सी किराया प्रभार	2,20,788.00		
दूरभाष व्यय	46,548.00		
पर्यटन एवं यात्रा व्यय	77,996.00		
स्रोत पर कर कटौती विवरणी व्यय	7,000.00		
निर्भय भवन योजना निधि	6,50,00,000.00		
व्यय से अतिरेक आय	18,57,066.00		
	7,14,66,829.00		7,14,66,829.00

कृते टण्डन बृज एंड कंपनी
चार्टर्ड अकांउटेंट्स
ह./-
नाम बी.बी. टण्डन
एफसीए

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 15 जून, 2010

ह./-
सदस्य सचिव

ह./-
कोषाध्यक्ष

105-108 एआरए सेंटर, ई-2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

टण्डन बृज एण्ड कं.
चार्टर्ड अकांउटेंट्स

दूरभाषः 23622220, 23520976

मैसर्स बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान
31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष का प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा

प्राप्तियां		राशि	भुगतान		राशि
बैंक आरंभिक शेष					
नकद	31466.00		विज्ञापन		3,96,968.00
बैंक	2126190.00		वर्षगांठ व्यय		18,17,056.00
एफडीआर	538500000.00	54,06,57,656.00	लेखापरीक्षा शुल्क		25,000.00
			टीडीएस विवरणी व्यय		7,000.00
एफडीआर पर ब्याज		7,14,66,829.00	गरीबों को भोजन		2,600.00
			वाहन व्यय		3,965.00
			बैंक प्रभार		17,207.00
			अतिथि सत्कार व्यय		26,714.00
			लोन पर ब्याज		25,407.00
			बैठक शुल्क		28,817.00
			कार्यालय रखरखाव व्यय		83,460.00
			कर्मचारी कल्याण व्यय		4,801.00
			डाक एवं कुरियर व्यय		74,422.00
			लेखन सामग्री मुद्रण		6,15,543.00
			वेतन एवं मानदेय		8,89,723.00
			समाधि रखरखाव व्यय		29,356.00
			दूरभाष व्यय		46,548.00
			पर्यटन एवं यात्रा व्यय		77,996.00
			फर्नीचर एवं फिक्सचर		1,98,197.00
			सेमीनार एवं सम्मेलन व्यय		2,86,500.00
			टैक्सी किराया प्रभार		2,20,788.00
			अलमारी		38,565.00
			कम्प्यूटर		97,600.00
			फैक्स मशीन		18,600.00
			इनवर्टर		22,500.00
			मोबाइल फोन		14,590.00
			मरम्मत एवं अनुरक्षण		25,500.00
			न्यू मॉडल इम्पेक्स प्रा.लि. को अग्रिम		1,68,000.00
			सहायक निदेशक, सम्पदा को अग्रिम		39,660.00
			उपनिदेशक, संस्कृति को अग्रिम		21,842.00
			अंतिम शेषः-		
			नकद	51,891.00	
			बैंक	17,47,669.00	
			एफडीआर	60,50,00,000.00	
					60,67,99,560.00
		61,21,24,485.00			61,21,24,485.00

कृते टण्डन बृज एंड कंपनी
चार्टर्ड अकांउटेंट्स
ह./-
नाम बी.बी. टण्डन
एफसीए

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 15 जून, 2010

ह./-
सदस्य सचिव

105-108 एआरए सेंटर, ई-2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055